

(1)

# आरटीआई अर्जी RTI ACT 2005


TO, CPIO RTI  
KANDLA SPECIAL ECONOMIC ZONE  
DEVELOPMENT COMMISSIONER OFFICE  
GANDHIDHAM KUTCH PIN-370230

DATE



## नाम और पता

BHARAT MARANBHAI BUCHIYA  
PLOT No 677, SECTOR-5  
GANDHIDHAM PIN-370201


श्री लोकेश  
security officer  
को लिखें।  
  
15/5/19

## विषय : अर्जदार के मानगो की मुताबिक सूचना प्रदान करें.....

मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने मेरे गेट पास बनाने के लिए जो फॉर्म जमा किया हो तथा फॉर्म के संदर्भ में कांडला स्पेशल इकोनामिक जोन के कार्यालय ने जो गेट पास जारी किया हो कंप्यूटराइज उसकी 5 हू कॉपी नकल प्रदान की जाए मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने JAN-2010 से DEC-2014 के समय के भीतर गेट पास बनाने का जाँ फॉर्म सबमिट किया हो और स्पेशल इकोनामिक जोन कार्यालय ने जो गेट पास कंप्यूटर सिस्टम के जरिए तैयार करके प्रदान किया हो जारी किया उसकी 5 हू कॉपी नकल सौंपी जाए कृपया करके गेट पास संबंधित मेरी सूचना जल्द से जल्द प्रदान करें ऐसी विनंती.....



मांगी गई सूचना अर्जदार को उनके ईमेल ऐड्रेस rameshtharu@rediffmail.com पर स्कैन करके भेजी जाए लिखित स्वरूप में



(BHARAT N. BUCHIYA)

POSTAL ORDER NO 39F 449646 रुपये 10 सुल्लिम है



13/5/19  
आवक लिपिक  
क.वि.आ.क्षेत्र प्रशासन  
गांधीधाम (कच्छ)



**KASEZ**

विकास आयुक्त का कार्यालय

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

गांधीधाम - कच्छ-370230

Phone (02836)-253300, 252475, 252273

Fax (02836) - 252250 & 252194

E-mail: admn.kasez-gj@gov.in

Website: www.kasez.gov.in

फा.सं. KASEZ/ RTI/11/2019-20/ 309

दिनांक: 28.05.2019

By Speed Post

सेवा में,  
श्री भरत नाराणभाई बुचिया,  
प्लोट न. - 677, सेक्टर - 5,  
गांधीधाम- 370201

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 13.05.2019 का सन्दर्भ ले, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.05.2019 को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित शाखा/अनुभाग से प्राप्त वांछित सूचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि 2014 से पहले की अवधि के लिए फॉर्म/गेट पास का रिकॉर्ड इस कार्यालय के पास नहीं है।

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन - 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम( कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते हैं।

भवदीय,

28/05/19

(अरुण कुमार)

उपायुक्त (सीमाशुल्क)/सी.पी.आई.ओ.  
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
गांधीधाम